मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 11–03/2017/2/34 भोपाल, दिनांक 26 AUG 2020

आदेश

शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जनवरी 2017 के अनुसार कार्यालय प्रमुख अभियंता, एवं कार्यालय मुख्य अभियंता, तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2017 के अंतर्गत कार्यालय कार्यपालन यंत्री (खण्ड कार्यालय) के स्तर पर विभिन्न कार्यों की निविदाओं के आमंत्रण एवं निराकरण के लिये ''निविदा प्रकोष्ठ'' गठित किये गये हैं। राज्य शासन एतद् द्वारा विभिन्न कार्यों की, निविदा प्रपत्र अपेंडिक्स–2.10, एवं फार्म–एफ पर निविदाओं का आमंत्रण किये जाने के लिये प्रकोष्ठवार पूर्व निर्धारित निविदा लागत (Probable Amount of Contract,PAC) की सीमा को संशोधित करते हुये निम्नानुसार निर्धारित करता है :–

1	प्रमुख अभियंता कार्यालय स्तरीय निविदा प्रकोष्ठ	–	रूपये 10 करोड़ से अधिक
2	परिक्षेत्र कार्यालय स्तरीय निविदा प्रकोष्ठ	–	रूपये 5 करोड़ से अधिक एवं रूपये 10 करोड़ तक
3	खण्ड कार्यालय स्तरीय निविदा प्रकोष्ठ	–	रूपये 5 करोड़ तक

निविदाओं की स्वीकृति विभागीय नियम प्रक्रियाओं एवं वित्तीय संहिता में वर्णित शक्तियों के अनुसार की जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

26/08/2020
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक एफ 11–03/2017/2/34 भोपाल, दिनांक 26 AUG 2020

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, विंध्याचल भवन, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां., भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल म.प्र.।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।

26/08/2020
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

PA-2020